प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.08.2020 जनपद देवरिया।

कुख्यात अपराधी की नामी/बेनामी संपत्ति कुर्क

आज दिनांक 30.08.2020 को जनपद देवरिया के कुख्यात अभियुक्त तारबाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी–रूस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अभियुक्त की कुल 01 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है तथा इस संपत्ति को कस्टोडियन तहसीलदार भाटपार रानी जनपद देवरिया के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया। इस कुख्यात अभियुक्त के विरूद्ध शराब तस्करी, पशु तस्करी, अवैध शस्त्र, हत्या, लूट जैसे गम्भीर अपराध के कुल 34 अभियोग पंजीकृत है।

कुर्क संपत्ति का संक्षिप्त विवरणः–

01.भूमि/प्लॉट 11

02.भवन/इमारत 01